संख्या-7/345/63-व0उ0-2015-117(एच)/07टी0सी0-3

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 17, मार्च, 2015**

विषय:- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापक हथकरघा विकास योजनान्तर्गत 05 ग्रुप एप्रोच हेतु प्रथम किस्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2656/ह0क0/व्या0ह्थ0वि0यो0-ग्रु0ए0/2014-15, दिनांक 09.03.2015 तथा भारत सरकार के पत्र संख्या-2/28/2014-डी.सी.एच/सी.एच.डी.एस/यू0पी0/जी0 दिनांक 09.03.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापक हथ्करघा विकास योजना 05 ग्रुप अप्रोच हेतु प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि रू0 23.562 लाख (रूपया तेइस लाख, छप्पन हजार दो सौ मात्र) की स्वीकृति के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0 6.732 लाख (रूपया छः लाख, तिहत्तर हजार दो सौ मात्र) के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही साथ (केन्द्रांश+राज्यांश) कुल धनराशि रू0 30.294 लाख (रूपया तीस लाख, उनतीस हजार चार सौ मात्र) की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग एवं इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही धनराशि अवमुक्त/व्यय की जा सकेगी।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके एक माह में शासन के सम्बन्धित विभागों को व भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त धनराशि के मासिक व्यय विवरण प्रपत्र-बी0एम013 में सचिव, वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग का होगा।

(4) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 30.294 (रूपया तीस लाख, उन्तीस हजार चार सौ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-103 हथकरघा उद्योग-आयोजनागत-01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-राष्ट्रीय हथकरघा विकास योजना-27 सब्सिडी के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी.-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में वर्णित निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

मोनिका एस0 गर्ग
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-**345(1)/63-व0उ0-2015-117(एच)/07टी0सी0-3**, तद्दिनांक-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

3- विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

5- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, समितियों एवं पंचायतें, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

6- वित्त (ई-6) अनुभाग/ वित्त (बजट) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज बहादुर

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in